राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 3(77)नविवि/3/2009पार्ट जयपुर, दिनांक 25/8/2022

आदेश

मास्टर विकास/क्षेत्रीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से राज्य के सभी शहरों के अधिसूचित मास्टर प्लान, क्षेत्रीय विकास योजनाओं में मुख्य रूप से पार्क, खुले स्थल, खेल के मैदान, स्टेडियम, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाऐं, जनोपयोगी सुविधाऐ, अन्य सामुदायिक सुविधा, पर्यटन सुविधा, ट्रांसपोर्ट नगर तथा सरकार एवं अर्द्धसरकारी क्षेत्र हेतु प्रस्तावित भू–उपयोगों के विकास हेतु भूमि पुर्नसमायोजन के माध्यम से राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 में नवीन प्रावधान जोडे जाने के संबंध में प्रारूप पर समसंख्यक विभागीय लोक सूचना दिनांक 24.05.2022 के द्वारा आमजन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे।

प्राप्त आपत्ति/सुझावों के परिपेक्ष्य में आपत्तिकर्ताओं/सुझावकर्ताओं की सुनवाई विभागीय आदेश क्रमांक प. 17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 01.09.2021 के द्वारा डॉ जी.एस. संधु, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 22.07.2022 में की गई। बैठक में प्राप्त आपित्तयों के परिपेक्ष्य में प्रस्तावित प्रावधान का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रीट याचिका संख्या 1554/2004 में जारी आदेश दिनांक 12.01.2017 व 15.12.2018 एवं इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी) के परिपेक्ष्य में अतिरिक्त महाधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्राप्त विधिक राय के परिपेक्ष्य में उक्त समिति की बैठक दिनांक 18.08.2022 के निर्णयानुसार राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 में नवीन प्रावधान जोडे जाने का प्रस्ताव विधि सम्मत नही होने के दृष्टिगत ड्राप किया जाता है।

(डॉ जोगा राम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

25/8/22
(कुंजी लाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग